



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 964]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 5, 2004/कार्तिक 14, 1926

No. 964]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 2004/KARTIKA 14, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2004

(आयकर)

का.आ. 1247(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना का.आ. 994(अ) दिनांक 9 सितम्बर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों में क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः

अनुसूची

क्रम सं. 1	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम 2	मुख्यालय 3	प्रादेशिक क्षेत्र 4	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग 5
1	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले राज्य और चंडीगढ़ संघ शासित राज्य ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण ए से एल तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।

2	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी - II), दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले राज्य और चंडीगढ़ संघ शासित राज्य ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण एम से जैड तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।
6	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक और गोवा के राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण ए से जैड तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।
7	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), हैदराबाद	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण ए से जैड तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।
8	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण ए से एल तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।

9	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण एम से जैड तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।
10	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल , उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण ए से एल तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।
11	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल , उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ।	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्ण एम से जैड तक से शुरू होते हैं और जिनका कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर कर निर्धारण किया जाता है अथवा कर निर्धारणीय है ।

[अधिसूचना सं. 278/2004/फा. सं. 187/14/2004-आयकर निर्धारण-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव